


राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, जयपुर

क्रमांक : एफ.वी.32(3)स्था./ब-1/2019/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.वी.1(1)स्था./ब-1/2018/1881 दिनांक 27.07.2019 द्वारा पशुधन सहायको से पशुचिकित्सा सहायक के पद पर पदौन्नति उपरान्त पदस्थापन किया जाकर कार्मिको को 15 दिवस में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु कर्मिको द्वारा अभी तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है। जिन कार्मिको द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया है, उन कार्मिकों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 16.09.2019 तक कार्यग्रहण हेतु निर्देशित किया जाता है एवं उक्त तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर कार्मिको के पदौन्नति परित्याग मानते हुए पदौन्नति आदेश निरस्त किये जावेंगे।



(डॉ० शैलेश शर्मा)
निदेशक

क्रमांक : एफ.वी.32(3)स्था./ब-1/2019/ 3075-3122

दिनांक : 4/9/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक, संभाग..... पशुपालन विभाग।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को भेज कर लेख है कि उपरोक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावे एवं निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक 2880 दिनांक 14.08.2019 के द्वारा चाही गई सूचना एवं कार्मिको की कार्यग्रहण एवं फोरगो के आवेदन की प्रति निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।
3. संबंधित प्रभारी।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा नियंत्रण अधिकारी।
5. निजी/रक्षित पंजिका


(डॉ० महेश कटारा)
अतिरिक्त निदेशक(उत्पादन)